<u>न्यायालयः– विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण), श्रीगंगानगर।</u>

पीठासीन अधिकारी – सुषमा पारीक
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्या – 197 सन् 2017

(CIS Reg.No. – SC/238/2017)

CNR: RJSG050011512017

राजस्थान राज्य

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र नेनदास निवासी वार्ड नंबर 04 प्रेमनगर, अनूपगढ़।
2. विशाल उर्फ विशू पुत्र फिरंगीलाल निवासी वार्ड नंबर 15 अनूपगढ़।
3. बलराज सिंह उर्फ बाजूसिंह उर्फ बाजुड़ा पुत्र जगजीत सिंह निवासी चक 77 जीबी ए पुलिस थाना अनूपगढ़।

––अभियुक्तगण

<u>अपराध अंतर्गत धारा 341,323,427,34 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(1)(r)(s), 3(2)(va) SC/ST Act</u>

प्रतिनिधित्वः–

01. सर्वश्री भारत भूषण नागपाल, नरेश गाबा, राकेश कुमार, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण।
02. श्री वीरेन्द्र सिहाग, विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक वास्ते राज्य।

<u>––निर्णय––</u>

दिनांकः–04.04.2026

1. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 15.04.2017 को परिवादी हरदेव सिंह ने थानाधिकारी, पुलिस थाना अनूपगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी.03 इस आशय का पेश किया कि वह लोक परिवहन बस नंबर आर जे 13 पीए 5639 में कंड़क्टर है। यह बस हनुमानगढ़ से खाजूवाला दिनांक 14.04.2017 को करीब 8.30 पीएम बस ड्राईवर जगसीर सिंह के साथ में बस में सवारियां बिठा रहे थे और बस में 20 सवारियां पहले से थी कि इतने में अचानक कनॉट पैलेस चौक अनूपगढ़ पर उसकी बस के आगे कुछ टैक्सी वालों ने टैक्सी लगाकर बस रूकवा ली और तभी वहां पर राजू प्रधान टैक्सी यूनियन, बाजूसिंह उर्फ बाजूड़ा, भंवरलाल, विशु तथा कुछ अन्य लोग आये। बस में चढ़कर उसके साथ व उसके ड्राईवर जगसीर के साथ मारपीट की तथा उन लोगों ने इसकी बस का मैन शीशा व साईडों के सभी शीशे व हैड़ लाईटें लाठी डंडों से तोड़ दी जिससे बस में बैठी सवारियों देवेन्द्र सिंह, गुरमीत सिंह व गुरप्रीत सिंह तथा अन्य को भी चोटें लगी व ड्राईवर जगसीर सिंह की हाथ की कलाई पर चोट लगी व खून निकल आया। उन लोगों ने इसे डेढ चूड़ा,मादरचोद व जय भीम का खुमार उतार देंगे आदि जातिसूचक गालियां निकाली। इसके बाद वे लोग इनके साथ मारपीट कर, बस में तोड़फोड़ कर गाली गलौच करते हुए जाते–

जाते इसकी दो तीन दिन की बुकिंग का बैग जिसमें 18400/– रूपये थे, भी इससे छीनकर ले गए, इत्यादि।

2. उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर पुलिस थाना अनूपगढ़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 144/2017 अंतर्गत धारा 323, 341, 427, 382 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(s), 3(2)(va) SC/ST Act में पंजीबद्ध हुई जिसमें बाद अनुसंधान दिनांक 05.12.2017 को अभियुक्त भंवरलाल के विरूद्ध धारा 323, 341, 427, 34 भारतीय दण्ड संहिता में तथा अभियुक्तगण विशाल उर्फ विशू एवं बलराज सिंह उर्फ बाजुसिंह उर्फ बाजुड़ा के विरूद्ध धारा 323, 341, 427, 34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(r)(s), 3(2)(va) SC/ST Act के अधीन न्यायालय में आरोप पत्र पेश होने पर उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण नियमानुसार पंजीबद्ध किया गया।

3. आरोप पर बहस सुनने के पश्चात अभियुक्त अभियुक्त भंवरलाल के विरूद्ध धारा 323, 341, 427 भारतीय दण्ड संहिता में तथा अभियुक्तगण विशाल उर्फ विशू एवं बलराज सिंह उर्फ बाजुसिंह उर्फ बाजुड़ा के विरूद्ध धारा 323, 341, 427 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(r)(s), 3(2)(va) SC/ST Act के अधीन आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोप सुन व समझकर अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4. उक्त आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य अभियोजन में अग्रवर्णित गवाहान को परीक्षित करवाया गया–

क्र 0 सं0	साक्षी क्रमांक	नाम साक्षी	साक्ष्य की प्रकृति
1	पी.ड़.01	कौरसिंह	घटना बाबत
2	पी.ड़.02	जगसीर सिंह	आहत/घटना बाबत
3	पी.ड़.03	हरदेव सिंह	परिवादी/घटना बाबत
4	पी.ड़.04	कुलविन्द्र सिंह	घटना बाबत
5	पी.ड़.05	देवेन्द्र सिंह	घटना बाबत
6	पी.ड़.06	गुरप्रीत सिंह	घटना बाबत/पक्षद्रोही
7	पी.ड़.07	गुरमीत सिंह	घटना बाबत
8	पी.ड़.08	सोहनराम बिश्नोई	अनुसंधान बाबत

5. अभियोजन पक्ष की ओर से अग्रवर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गए–

क्र 0 सं0	प्रदर्श क्रमांक	दस्तावेज का विवरण
1	प्रदर्श पी.01	नक्शामौका घटनास्थल
2	प्रदर्श पी.01 ए	हालातमौका घटनास्थल
3	प्रदर्श पी.02	फर्द निरीक्षण बस संख्या आर जे 13 पीए 5639
4	प्रदर्श पी.03	मुकदमा दर्ज करवाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
5	प्रदर्श पी.04	प्रथम सूचना रिपोर्ट

6	प्रदर्श पी.05 ए	फोटोप्रति जाति प्रमाण पत्र हरदेव सिंह
7	प्रदर्श पी.06	पुलिस बयान गुरप्रीत सिंह
8	प्रदर्श पी.07 से 09	क्षतिग्रस्त बस के फोटोग्राफ्स

6. अभियुक्तगण के बयान धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अभिलिखित किये गये, जिसमें अभियुक्तगण ने स्वयं के विरुद्ध आई साक्ष्य को गलत बताते हुए कथन किए कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फंसाया गया है। साक्ष्य सफाई में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई।

7. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री के आधार पर न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध अग्रवर्णित बिन्दु विचारणार्थ उद्भूत होते हैं–

1. **आया अभियुक्तगण ने दिनांक 14.04.2017 को समय 8.30 पीएम के लगभग वाके कनॉट पैलेस चौक अनूपगढ़ पर परिवादी हरदेव सिंह व जगसीर सिंह को रोककर सदोष अवरोध कारित करते हुए उनके साथ थाप मुक्कों व कुंदाला हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहतियां कारित की, परिवादी/मजरूबान हरदेव सिंह व जगसीर सिंह द्वारा संचालित की जा रही लोक परिवहन की बस संख्या आर जे 13 पीए 5639 पर पथराव कर उसकी गाड़ी के शीशों व हैड़ लाइटों को तोड़कर रिष्टी कारित की तथा अभियुक्तगण विशाल उर्फ विशू एवं बलराज सिंह उर्फ बाजु द्वारा परिवादी हरदेव सिंह को अनूसूचित जाति का सदस्य जानते हुए जनता को दृष्टिगोचर स्थान पर उसको जातिसूचक गालियां निकालकर साशय अपमानित या अभित्रस्त किया व उसके साथ उक्तानुसार कारावास से दंड़नीय अपराध कारित किए ?**
2. **आया अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप साबित हुआ है, यदि हां तो उसके लिए समुचित दण्ड क्या होगा ?**

8. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने दौराने बहस तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्तगण निर्दोष है, उनके खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा किसी प्रकार की कोई घटना परिवादी पक्ष के साथ कारित नहीं की गई है। कांउटर पर बस लगाने व सवारियां लगाने की रंजिशवश परिवादी द्वारा यह झूठा मुकदमा अभियुक्तगण के विरुद्ध दर्ज करवाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा न तो परिवादी पक्ष के साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट की गई है व न ही कोई गाली गलौच किया गया है, स्वयं मजरूबान ने मैडिकल मुआयना बाबत दी गई तहरीर में स्वयं के साथ केवल धक्का मुक्की होने व कोई चोट उनके शरीर पर नहीं आने व मैडिकल मुआयना नहीं करवाने के कथन किए हैं । पत्रावली में परिवादी पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान हितबद्ध साक्षीगण हैं, जिनकी साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास है। अन्य स्वतंत्र साक्षी गुरप्रीत सिंह द्वारा घटना की ताईद नहीं की गई है, लिहाजा अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अंत में अभियुक्तगण को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त करने का निवेदन किया।

9. इसके खण्डन में विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि परिवादी व अन्य अभियोजन साक्षियों ने अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध की पुष्टि अपने सशपथ बयानों में की है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करने का निवेदन किया।

10. उभय पक्षकारान के उपरोक्त तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

<u>बिन्दू संख्या 1 व 2</u>

11. उपरोक्त अवधार्य बिन्दुओं के समर्थन में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 8 गवाह प्रस्तुत किये गये हैं, जिनकी साक्ष्य निम्न प्रकार हैः–

12. साक्षी पी०ड़० 01 कौर सिंह ने न्यायालय में साक्ष्य दी है कि साल 2016–2017 की बात है। मैं बस पंजीकरण संख्या 5639 चलाता हूं। मेरी बस खाजूवाला से हनुमानगढ रूट पर चलती थी। जब मेरी बस शाम को अनूपगढ़ में आती थी तो भंवरलाल और अन्य लोग (ऑटो चालक) काउंटर पर मेरी बस को नहीं लगने देते थे। गाली–गलौच करते थे और एक दिन मेरी बस को पत्थर मारकर तोड़फोड़ की। मेरे साथ, मेरे ड्राइवर जग्गा सिंह और कंड़क्टर हरदेव सिंह के साथ अभियुक्तगण ने मारपीट की और बस में बैठी सवारियों को भी चोटें पहुचाईं। मौका पर बस कंड़क्टर के पास नकद राशि थी, वह भी अभियुक्तगण छीनकर अपने साथ ले गये। घटना अनूपगढ के 27 वाले चौराहे पर कारित की थी। खाजूवाला–हनुमानगढ़ मार्ग पर बस चलाने के आदेश की प्रति पत्रावली में संलग्न है। बस के दस्तावेज (आर सी व बस परमिट) की प्रति भी पत्रावली में संलग्न है।

13. साक्षी पी०ड़० 02 जगसीर सिंह ने न्यायालय में साक्ष्य दी है कि साल 2017 की बात है। मैं तब बस चलाता था। घटना वाले दिन भंवरलाल, विशु तथा उनके साथ 3–4 अन्य लोगों ने बस के कंड़क्टर हरदेव सिंह के साथ मारपीट की और मेरे साथ धक्का–मुक्की की। अभियुक्तगण ने बस के साथ भी तोड़फोड़ की और बस की लाइटें तथा शीशे तोड़ दिये। कंड़क्टर से पैसे भी छीन लिये। आरोपीगण हमें अनूपगढ़ के चौक पर बस नहीं लगाने देते थे, इस कारण से अभियुक्तगण ने हमारे साथ मारपीट की। नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी–01 है व फर्द निरीक्षण बस पंजीकरण संख्या आर.जे.–13 पी.ए. 5639 प्रदर्श पी–02 है ।

14. साक्षी पी०ड़० 03 हरदेव सिंह ने न्यायालय में साक्ष्य दी है कि दिनांक 17.04.2017 की बात है। उस दिन अम्बेड़कर जयंती थी। हम हनुमानगढ से बस लेकर आये थे। हम अनूपगढ के रेल्वे स्टेशन के पास रोकी और वहां से बस में सवारियां उठाई

और अनूपगढ़ के कनॉट प्लेस चौक पर चले गये। भंवरलाल, विशु, बाजू, बलकरण व 3–5 अन्य लोग वहां पर आये और हमारी बस के आगे अपने ऑटो लगा दिये। फिर हमें बस से नीचे उतार दिया और मेरे साथ मारपीट की। जब बस का चालक छुड़ाने के लिए आया तो आरोपीगण ने चालक के साथ भी मारपीट की और गाली गलौच की। आस पास के लोगों ने हमें आकर छुड़वाया। आरोपीगण ने बस के शीशे तोड़ दिये। मुकदमा दर्ज करवाने के लिए दिया गया प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी–03 है, जिसके आधार पर दर्ज हुई चाक एफआईआर प्रदर्श पी–04 है। नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी–01 है। फर्द निरीक्षण बस पंजीकरण संख्या आर.जे.–13 पी.ए. 5639 प्रदर्श पी–02 है। मेरी जाति कापडिया है जो राजस्थान राज्य में अनूसूचित जाति की श्रेणी में आती है। मैं अपना असल जाति प्रमाण पत्र आज अपने साथ लेकर आया हूं, जो प्रदर्श पी. 05 है, जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श पी. 05 ए है।

15. साक्षी पी०ड़० 04 कुलविन्द्र सिंह ने न्यायालय में साक्ष्य दी है कि दिनांक 14.04.2017 की बात है। मैं तब बस में हैल्पर का कार्य करता था। लगभग रात के आठ बजे बस अनूपगढ आई। ट्रेन की सवारियों को लेने के लिए बस को रेल्वे स्टेशन के आगे रोका था। मौका पर 4–5 ऑटो चालक आये। उनमें विशाल अरोड़ा उर्फ विशु, भंवरलाल नायक, बाजू, बलकरण और कई जने थे। आरोपीगण ने पहले तो बोलचाल की और गाली गलौच की और फिर बस के शीशे तोड़ दिये। आरोपीगण ने बस के चालक जगसीर सिंह और परिचालक हरदेव सिंह के साथ मारपीट की। फिर आरोपीगण वहां से चले गये।

16. साक्षी पी०ड़० 05 देवेन्द्र सिंह ने न्यायालय में साक्ष्य दी है कि दिनांक 14.04.2017 की बात है। भंवरलाल, बज्जू और एक दो जनों ने हरदेव को जाति सूचक गालियां निकालीं थीं। बाद में बस के साथ तोड़फोड़ कर दी। मैं उस दिन बस से रेल्वे स्टेशन अनूपगढ के पास कनॉट प्लेस पर आया था। बस की सवारियों उठाने की बात को लेकर अभियुक्तगण का हरदेव सिंह के साथ गाली गलौच हुआ था।

17. साक्षी गुरप्रीत सिंह पी०ड० 6 पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने अभियोजन कहानी की ताईद नहीं की है ।

18. साक्षी पी०ड़० 07 गुरमीत सिंह ने मुख्य परीक्षण में कथन किए हैं कि दिनांक 14 वर्ष 2017 की बात है। भंवरलाल, विशु और तीन–चार टैम्पू वालों के साथ बस के परिचालक हरदेव सिंह की लडाई हुई थी। रेलगाड़ी की सवारियों को चढाने की बात को लेकर अभियुक्तगण ने बस के चालक जग्गा सिंह और परिचालक हरदेव सिंह के साथ झगड़ा किया था और अभियुक्तगण ने बस के साथ तोड़फोड़ की थी। मैं उस दिन बस में

था और बस से अपने घर पर आ रहा था। अभियुक्तगण ने बस के चालक और परिचालक के साथ जाति सूचक गाली गलौच की थी और हाथापाई भी की थी।

19. साक्षी पी०ड़० 08 सोहनराम बिश्नोई अनुसंधान अधिकारी ने कथन किया है कि मैं दिनांक 15.04.2017 को वृताधिकारी, अनूपगढ़ के पद पर कार्यरत था। उस रोज मुझे मुकदमा संख्या 144/2017 पुलिस थाना अनूपगढ़ की पत्रावली अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई। मेरे द्वारा अपने अनुसंधान के दौरान परिवादी की निशानदेही से घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका प्रदर्श पी–01 व हालात मौका प्रदर्श पी–01ए तैयार किया। क्षतिग्रस्त बस नम्बर आर.जे.–13 पी.ए. 5639 राजस्थान लोक परिवहन सेवा का निरीक्षण कर मोहतबिरान के समक्ष बस का फर्द निरीक्षण प्रदर्श पी–02 तैयार किया। बस की आर.सी. तथा फिटनेस प्रमाण पत्र की फोटोप्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी हरदेव सिंह के जाति प्रमाण पत्र की फोटोप्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। कार्यालय सचिव प्रादेशिक परिवहन, बीकानेर द्वारा बस के परिचालन की समय सारणी के आदेश की प्रति दिनांकित 06.10.2016 प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। क्षतिग्रस्त बस के 03 फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी–07 लगायत प्रदर्श पी–09 लेकर शामिल पत्रावली किये गये। दौराने अनुसंधान गवाहान कौर सिंह, कुलविन्द्र सिंह, हरदेव सिंह, जगसीर सिंह, गुरमीत सिंह, देवेन्द्र सिंह, गुरप्रीत सिंह के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये। बाद अनुसंधान आरोपी भंवरलाल के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341, 427, 34 आईपीसी तथा आरोपीगण विशाल उर्फ विशु, बलराज सिंह उर्फ बाजू के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341, 427, 34 आईपीसी तथा धारा 3(1)(r)(s), 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली चालानी आदेशार्थ पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर को भिजवाई गई। मुकदमा दर्ज करवाने के लिये दिये गये प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी–03 पर बाद पुलिस कार्यवाही तथा चाक एफआईआर प्रदर्श पी–04 है। तत्कालीन थानाधिकारी पुलिस थाना अनूपगढ़ भवानी सिंह द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जो मेरे अधीनस्थ कार्यरत होने के कारण मैं उनके हस्ताक्षर पहचानता हूं।

20. इस प्रकार पत्रावली पर उक्त समस्त साक्षीगण जो कि परिवादी, आहतगण व बरवक्त घटना बस में सवार सवारियां आदि भी हैं, ने अपने न्यायालय के समक्ष हुए सशपथ बयानों में अभियुक्तगण द्वारा परिवादी पक्ष की बस को रोककर परिवादी हरदेव सिंह बस परिचालक व जगसीर सिंह चालक के साथ मारपीट कर चोटें कारित करने व बस पर पत्थर मारकर उसका शीशा आदि तोड़ने व तोड़ फोड़ करने के कथन किए हैं,

जिसकी पुष्टि अनुसंधान अधिकारी ने भी अपने बयानों में करते हुए बाद अनुसंधान आरोपीगण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341, 427, 34 आईपीसी प्रमाणित पाये जाने के कथन किए हैं। उक्त समस्त साक्षीगण की जिरह में ऐसे कोई गम्भीर विरोधाभास नहीं आए हैं, जिससे इनके मुख्य परीक्षण में किए गए कथनों पर अविश्वास किया जा सके। केवल मात्र अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहान में से पी०ड० 6 गुरप्रीत सिंह पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है लेकिन केवल मात्र उक्त एक साक्षी के पक्षद्रोही होने से अभियोजन कहानी पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि शेष सभी साक्षीगण ने अभियोजन कहानी की ताईद करते हुए अभियुक्तगण के विरुद्ध साक्ष्य दी है। ऐसी सूरत में पत्रावली पर आई साक्ष्य के उक्तानुसार किए गए विवेचन व विश्लेषण से अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 341 व 323 व 427 भा०दं०सं० के आरोप संदेह से परे प्रमाणित होना पाए जाते हैं।

21. जहां तक अभियुक्तगण द्वारा परिवादी हरदेव सिंह को अनुसूचित जाति का सदस्य जानते हुए उक्त कारावास से दण्डनीय अपराध कारित किए जाने व जनता को दृष्टिगोचर स्थान पर उसको जाति सूचक गालियाँ निकाले जाने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में गवाहान की साक्ष्य का अवलोकन करें तो पी०ड़० 1 कौर सिंह,परिवादी पी०ड० 3 हरदेव सिंह, पी०ड० 4 कुलविन्द्र सिंह, पी०ड० 5 देवेन्द्र सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्तगण द्वारा केवल गाली गलौच किए जाने के ही कथन किए हैं जबकि पी०ड० 7 गुरमीत सिंह ने जातिसूचक गाली गलौच किए जाने के कथन किए हैं । पी०ड० 2 जगसीर सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में गाली गलौच के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं दी है । इस प्रकार उक्त गवाहान ने अपनी साक्ष्य में केवल गाली गलौच अथवा जातिसूचक गाली गलौच दिए जाने के ही कथन किए हैं लेकिन किस अभियुक्त ने किसको क्या गाली दी इस बारे में किसी भी गवाह ने अपनी साक्ष्य में कोई स्पष्ट कथन नहीं किए हैं एवं अभियुक्तगण द्वारा परिवादी को अनुसूचित जाति का सदस्य होना जानते हुए ही उसके साथ कोई गाली गलौच की गई हो, इस बाबत भी गवाहान की साक्ष्य में कोई कथन नहीं आए हैं, लिहाजा अभियुक्तगण द्वारा परिवादी को सार्वजनिक दृष्टिगोचर स्थान पर कोई जातिसूचक गालियां निकाली गई हों, अथवा उसे अनुसूचित जाति का सदस्य होना जानते हुए उसके साथ उक्त घटना कारित की गई हो, यह तथ्य अभियोजन संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है।

22. अतः अभियुक्तगण द्वारा परिवादी हरदेव सिंह को अनुसूचित जाति का सदस्य जानते हुए उसके विरुद्ध कारावास से दण्डनीय अपराध कारित किया हो अथवा जनता को दृष्टिगोचर स्थान पर उसको जाति सूचक गालियाँ निकालकर साशय अपमानित या अभित्रस्त

किया हो, यह तथ्य अभियोजन पक्ष सन्देह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। हालांकि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी हरदेव सिंह व जगसीर सिंह को रोककर उनका सदोष अवरोध कारित कर उनके साथ मारपीट कर साधारण चोटें कारित करने व उनकी बस पर पत्थर आदि फैंककर गाड़ी के शीशों व हैडलाइटों को तोड़कर रिष्टि कारित करने की पुष्टि सभी गवाहान ने की है, किन्तु उसे अनुसूचित जाति का सदस्य होना जानते हुए उसके विरुद्ध उक्त अपराध किए जाने के सम्बन्ध में, अभियोजन पक्ष के साक्षीगण की साक्ष्य में कोई कथन नहीं आए है। अतः अभियोजन पक्ष इस तथ्य को साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी हरदेव सिंह को अनुसूचित जाति का सदस्य होना जानते हुए उसका सदोष अवरोध कारित कर उसके साथ कुन्दाला से मारपीट कर साधारण उपहतियाँ कारित की व उसे जनता को दृष्टिगोचरन स्थान पर जाति सूचक गालियाँ निकालकर साशय अपमानित या अभित्रस्त किया।

23. अतः साक्ष्य के उपर्युक्त विवेचन एवं विशलेषण के प्रकाश में विचारणीय बिन्दु को अभियोजन अपने पक्ष में आंशिक रूप से संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अभियुक्तगण अपराध धारा 341, 323, 427 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों में दोषसिद्ध घोषित किए जाने योग्य हैं एवं धारा 3(1)(r)(s),3(2)(va) अनूसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के आरोप से संदेह का लाभ प्राप्त कर दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

–आदेश–

24. अतः अभियुक्तगण (1) भंवरलाल पुत्र नेनदास निवासी वार्ड नंबर 04 प्रेमनगर, अनूपगढ़(2) विशाल उर्फ विशू पुत्र फिरंगीलाल निवासी वार्ड नंबर 15 अनूपगढ़ व (3) बलराज सिंह उर्फ बाजूसिंह उर्फ बाजुड़ा पुत्र जगजीत सिंह निवासी चक 77 जीबी ए पुलिस थाना अनूपगढ़ को अपराध धारा 341, 323 व 427 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों में दोषसिद्ध किया जाता है एवं अभियुक्तगण विशाल उर्फ विशु व बलराज सिंह उर्फ बाजू सिंह को धारा 3(1)(r)(s),3(2)(va) अनूसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के आरोप से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है।

(सुषमा पारीक)

सजा का बिन्दु –

25. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क है कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है। अभियुक्तगण लम्बे समय से विचारण भुगत रहे हैं। अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ दिये जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक तथा अधिवक्ता परिवादी द्वारा इसका विरोध किया गया।

26. दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्तगण वर्ष 2017 से अन्वीक्षा भुगत रहे हैं। अभियुक्तगण की पूर्व दोषसिद्धि बाबत कोई अभिलेख पत्रावली पर नहीं है। पूर्व दोषसिद्धि नहीं होने बाबत शपथ–पत्र भी अभियुक्तगण ने पेश किए हैं। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों–परिस्थितियों को मद्दे नजर रखते हुए अभियुक्तगण को धारा 4 परिवीक्षा अधिनियम अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–दण्डादेश–

27. अतः अभियुक्तगण (1) भंवरलाल पुत्र नेनदास निवासी वार्ड नंबर 04 प्रेमनगर, अनूपगढ़(2) विशाल उर्फ विशू पुत्र फिरंगीलाल निवासी वार्ड नंबर 15 अनूपगढ़ व (3) बलराज सिंह उर्फ बाजूसिंह उर्फ बाजुड़ा पुत्र जगजीत सिंह निवासी चक 77 जीबी ए पुलिस थाना अनूपगढ़ को अपराध धारा 341, 323 व 427 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध की दोषसिद्धि में, तुरन्त कारावास से दण्डित ना किया जाकर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के प्रावधान के तहत परिवीक्षा का लाभ इन शर्तो पर प्रदान किया जाता है कि यदि प्रत्येक अभियुक्त रूपये बीस–बीस हजार का स्वयं का बंधपत्र एवं इतनी ही राशि की सक्षम प्रतिभूति इस आशय की प्रस्तुत कर प्रमाणित करवा देवे कि वह आगामी एक वर्ष की अवधि तक परिशांति एवं सद्व्यवहार बनाये रखेगा व अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा एवं न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर सजा भुगतने हेतु उपस्थित हो जायेगा तो उन्हें परिवीक्षा पर छोड़ा जाता है।

(सुषमा पारीक)

28. निर्णय आज दिनांक 04.04.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुषमा पारीक)

SULBHA KATARIA
Digitally signed by SULBHA KATARIA
Date: 2026.07.18 12:53:37 +0530